उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0–73/2011–12

मु0 रूस्तम वगैरह

बनाम्

मु0 मुबारक वगैरह

–: आदेश :–

दिनांक 25.06.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्ता मु0 रूस्तम पे0–नजमुद्दिन सा0–निमुहा थाना–बसंतराय जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–61/2010–11(मु0 मुबारक बनाम् शेख नजमुद्दिन) में आदेश दिनांक–03.01.2012 के विरूद्ध अपील आवेदन दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने आर0ई0आर0 केश नं0–61/2010–11 आदेश दिनांक–03.01.2012 के द्वारा मौजा–निमुहा जमाबंदी नं0–17 दाग नं0–458 रकवा 00–02–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्तागण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–निमुहा नं0–44 जमाबंदी सं0–16 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख असरफ पे0–शेख भगली वो शेख युसुफ पे0–हसमुल्ला वो मो0 बसीरन दोस्तरू शेख भगली के नाम से दर्ज है और जमाबंदी सं0–17 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख अकील मोहम्मद वो शेख युसुफ पे0–शेख बसीर के नाम से दर्ज है। दोनों ही जमाबंदी रैयत ने अपने–अपने जमीन का आपसी बदलैन किया है। जमाबंदी सं0–17 के दाग नं0–458 रकवा 00–04–10 धुर जमीन का बदलैन जमाबंदी सं0–16 के दाग नं0–305 के रकवा 00–04–10 धुर जमीन से की गयी है और आपसी बदलैन के अनुसार दोनों पक्ष जमीन पर अपना–अपना मकान बनाकर दखलकार है। गत जमाबंदी रैयत की मृत्यु के बाद उनके वंशज दखलकार है। उनका आगे कथन हैं कि निम्न न्यायालय ने अपीलकर्त्ता के बिना सुने ही एकतरफा आदेश पारित किया है। अपीलकर्त्ता बदलैन के आधार पर प्राप्त जमीन पर आवास बनाकर दखलकार है। ऐसी

स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृ करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा–निमुहा जमाबंदी सं0–17 उसग पं0–458 कुल रकवा 00–12–10 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में शेख अकील अहमद वो शेख युसुफ के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। उत्तरवादी गत जमाबंदी रैयत शेख युसुफ के पोता है। जबकि अपीलकर्त्तागण बिल्कुल ही बाहरी व्यक्ति है। उस जमाबंदी की जमीन से अपीलकर्त्तागण का कोई संबंध नहीं है। अपीलकर्त्तागण की ओर से वर्तमान अपील वाद में अपील वादगत जमीन मौजा–निमुहा के जमाबंदी सं0–16 दाग नं0–305 की जमीन से बदलनामा के आधार पर प्राप्त करने का दावा किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्तागण की ओर से बदलनामा से संबंधित कोई भी कागजात निम्न न्यायालय में और न ही वर्तमान अपील वाद में दाखिल किया गया है। इसलिए वर्तमान अपील वाद खारिज करने योग्य है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्ता सं0–1 का यह कथन है कि उनके अन्य हिस्सेदार को निम्न न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का आदेश सही नहीं है। उनका यह दावा भी निराधार है। क्योंकि अन्य हिस्सेदार को पक्षकार बनाना कोई जरूरी नहीं है। उनका आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण का उक्ज जमीन पर कोई अधिकार या हक नहीं बनता है, जबकि उत्तरवादी उस जमीन का अबतक मालगुजारी रसीद कटाते आ रहें हैं। वर्तमान तसदीक सर्वे सेटलमेंट में भी उत्तरवादी का नाम दर्ज हो गया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, बसंतराय के पत्रांक–515/रा0 दिनांक–26.12.2020 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक मु0 रूस्तम का मौजा–निमुहा नं0–44 के जमाबंदी नं0–16 के अंदर दाग नं0–305 कुल रकवा 00–04–10 धुर नीजी विपक्षी मु0 मुबारक का निमुहा के जमाबंदी नं0–17 के अंदर दाग नं0–458 रकवा 00–04–10 धुर नीजी जमीन है। विपक्षी एवं ग्रामीणों से पुछताछ के दौरान पता चला कि

दोनों के पुर्वजों के द्वारा प्रस्तावित जमीन आपस में मौखिक बदलनामा किया गया है। वर्तमान में उत्तरवादी मु0 मुबारक के जमीन दाग नं0–458 पर अपीलकर्त्ता मु0 रूस्तम का मकासनमय सहन है, जिसपर वो निवास कर रहें हैं तथा आवेदन मु0 रूस्तम के दाग नं0–305 का जमीन पर अंश भाग पर मस्जिद बना हुआ है, शेष जमीन खाली है। आवेदक मु0 रूस्तम का कहना है कि मैं विपक्षी के द्वारा मस्जिद निर्माण हेतु दान कर दिया है। विपक्षी मु0 मुबारक का कहना है कि मस्जिद के अलावे भी शेष जमीन खाली है, जिसपर आवेदक मु0 रूस्तम को दखल कब्जा दिलाया जा सकता है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा–निमुहा नं0–44 जमाबंदी सं0–17 गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में मो0 अकिल मोहम्मद प्रधान वो इसुफ पेसरान बेरेम के नाम से दर्ज है। निम्न न्यायालय के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–458 रकवा 00–02–00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया गया है। अंचल अधिकारी, बसंतराय के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि दोनों पक्ष के पूर्वजों के द्वारा जमीन का आपस में मौखिक बदलनामा किया गया था। जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट होता है कि मु0 मुबारक के जमीन दाग नं0–458 पर अपीलकर्त्ता मु0 रूस्तम का मकान मय सहन है, जिसपर वह निवास कर रहें हैं तथा अपीलकर्त्ता मु0 रूस्तम के जमीन दाग नं0–305 के अंश रकवा पर मस्जिद बना हुंआ है। यह उत्तरवादी मु0 मुबारक द्वारा मस्जिद हेतु दान दिया गया है। दोनों ही पक्ष बदलेन की जमीन पर दखलकार है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

07.07.2021

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0ई0आर0 केश नं0–61/2010–11 में दिनांक–03.01.2012 के आदेश को निरस्त करते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

07.07.2021

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by BIJOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 14:08:58 +05:30
Location: 192.168.29.32

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।